संख्या- 194/2015-3223/नौ-5-15-121बजट/2014

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 15 जून, 2015

विषयः जनपद इलाहाबाद में बक्शी बाँध बाढ पम्पिंग स्टेशन की पुनर्गठन परियोजना निर्धारित लागत रू0 566.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-111/नागर-2/033-304/15, दिनांक 17.05.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इलाहाबाद में बक्शी बाँध बाढ पम्पिंग स्टेशन की पुनर्गठन योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 566.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगम नियामों/प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगम प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि

go finance mangal font

निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-जल-मल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय पत्र संख्या-ई-8-1732/दस-2015, दिनांक 12 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-194/2015-3223/नौ-5-15-121बजट/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ /इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता,(इलाहाबाद क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
7 महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद ।
8. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद ।
9 नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
10 वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
11 गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

go finance mangal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-15/06/2015

प्रेषण संख्या:- 194

आवंटन आदेश संख्या:- 001-194-2015-3223-9-5-15-121B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	15247000 143446000	15247000 143446000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15247000 143446000	15247000 143446000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बावन लाख सैंतालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ चौंतीस लाख छियालीस हजार

(उमा शंकर सिंह)

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्याः-237/2015-200/नौ-5-2015-121बजट/2014
लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई, 2015

संशोधन

जनपद इलाहाबाद में बक्शी बांध पम्पिंग स्टेशन की पुनर्गठन परियोजना निर्धारित लागत रू0 566.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश सख्या-194/2015-3223/नौ-5-2015-121बजट/2014, दिनांक 15.06.2015 के प्रस्तर-1 की चौथी लाइन जो निम्न तालिका के कालम-1 में अंकित है, को कालम-2 के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

कालम-1	कालम-2
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि।	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 152.47 लाख की धनराशि।

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 15.06.2015 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष प्राविधान/शर्ते यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-2021/दस-2015, दिनांक 14 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव

संख्या-237/2015-200/नौ-5-2015-121बजट/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
6- मुख्या अभियन्ता (इलाहाबाद क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, इलाहाबाद।
7- महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद।
8- अधिशासी अभियंता उ0प्र0 जल निगम इलाहाबाद।
9- नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ।
10- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

u.s. rathore